27/5/16

पत्रावली पेश। वकील वादी उप० अम्न वादी का बयान को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली के शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] दुरुस्ती नक्शा के बाद दाखिल पत्रावली जमा रिकार्ड न०आर के शामिल हो

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] ([illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165 / 2023	28.07.2023	27.04.2026

बउनवान

1. बलराम सिंह पुत्र जाल्माराम जाति अहीर निवासी श्योपूर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

2. महेन्द्र सिंह
3. अशोक कुमार पुत्रान प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी श्योपूर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील :— श्री अरूण पण्डित

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि :—

बयान दावा मिन वादी की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि आराजी ख0न0 176 रकबा 0.17 हैक्0, 640 / 174 रकबा 0.03 है0, वाके ग्राम श्योपूर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 162 रकवा 12 बिस्वा के रकबा 2 बिस्वा से हाल ख0न0 640 / 174 रकबा 0.03 हैक्०, व गत ख०न० 164 रकबा 13 बिस्वा से हाल ख0न0 176 रकबा 0.17 हैक्0, गत ख0न0 156 से हाल ख0न0 168, गत ख0न0 157 से हाल ख०न० 169, गत ख0न0 158 से हाल ख००० 170, गत ख0न0 159 से हाल ख0न0 171, गत ख0न0 161 से हाल ख0न0 173, गत ख0न0 162 से हाल ख0न0 174, गत ख०न० 163 से हाल ख0न0 175, गत ख0न0 164 से हाल ख0न0 176, व गत ख0न0 165 से हाल ख0न0 177, गत ख०न० 166 से गत ख0न0 178 व गत ख0न0 120 से हाल ख०न० 130, गत ख0न0 125 से हाल ख०न० 136 व 137 व गत ख०न० 160 से ख0न0 171 व गत ख0न0 84 से से हाल ख०न० 88, गत ख०न० 85 से हाल ख०न० 89 व गत ख०न० 167 से हाल ख0न0 179, गत ख0न0 192 से हाल ख0न0 208, गत ख०न० 193 से हाल ख०न० 209,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

गत ख॰न॰ 196 से हाल ख0न0 214 व गत ख0न0 197 से हाल ख010 215, गत ख0न0 130 से हाल ख0न0 142, व गत ख0न0 131 से हाल ख॰न॰ 143 व गत ख0न0 132 से हाल ख0न0 144, गत ख0न0 133 से हाल ख0न0 144, गत ख॰न॰ 134 से हाल ख0न0 146, गत ख॰न॰ 135 से हाल ख0न0 147, गत ख0न0 143 से हाल ख॰न॰ 155, गत ख॰न॰ 63 से हाल ख॰न॰ 65, गत ख0न0 64 से हाल ख॰न॰ 66, गत ख॰न॰ 66 से हाल ख॰न॰ 68, गत ख॰न॰ 70 से हाल ख0न0 72 व 73 व गत ख0न0 71 से हाल ख0न0 74, गत ख0न0 73 से हाल ख॰न॰ 76, गत ख॰न॰ 75 से हाल ख॰न॰ 78, गत ख॰न॰ 76 से हाल ख॰न॰ 79 व गत ख॰न॰ 77 से हाल ख॰न॰ 80 व गत ख॰न॰ 78 से हाल ख॰न॰ 81, गत ख0न0 79 से से हाल ख॰न॰ 82 व गत ख॰न॰ 80 से हाल ख॰न॰ 83 व गत ख॰न॰ 81 से हाल ख0न0 84 व 85 व गत ख0न0 144 से हाल ख0न0 156 व गत ख॰न॰ 67 से हाल ख॰न॰ 69, गत ख॰न॰ 68 से हाल ख॰न॰ 70, गत ख॰न॰ 69 से हाल ख0न0 71 व गत ख0न0 74 से हाल ख॰न॰ 77 पैमूद किया गया है।

3. यह है कि गत आराजी ख॰न॰ 156 रकबा 9 बिस्वा, 157 रकबा 10 बिस्वा 159 रकबा 9 बिस्वा, 161 रकबा 8 बिस्वा 162 रकबा 12 विस्वा, 163 रकबा 12 बिस्वा 164 रकबा 13 बिस्वा, 165 रकबा 13 बिस्वा, 166 रकबा 11 बिस्वा किता 10 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का 1¤28 भाग व साबिक ख0न0 120 रकबा 15 बिस्वा 125 रकबा 19 बिस्वा, 160 रकबा 9 बिस्वा किता 3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का 1/28 भाग व गत ख॰न॰ 84 रकबा 12 बिस्वा, 85 रकबा 15 बिस्वा, 167 रकबा 12 बिस्वा, 193 रकबा 11 बिस्वा, 193 रकबा 17 बिस्वा, 196 रकबा 11 विस्वा, 197 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा का 1/28 भाग व गत ख॰न॰ 84 रकबा 12 बिस्वा, 85 रकबा 15 बिस्वा, 167 रकबा 12 बिस्वा, 192 रकबा 11 बिस्वा, 193 रकबा 17 विस्वा, 196 रकबा 11 बिस्वा, 197 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा का 1¤28 भाग व साबिक ख॰न॰ 130 रकबा 5 बिस्वा 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 6 बिस्वा, 133 रकबा 5 बिस्वा 134 रकबा 4 बिस्वा, 135 रकबा 4 बिस्वा, 143 रकबा 7 बिस्वा किता 7 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का 3/28 भाग का 1/2 भाग व साबिक ख॰न॰ 63 रकबा 6 बिस्वा, 64 रकबा 6 बिस्वा, 65 रकबा 6 बिस्वा 66 रकबा 5 बिस्वा, 70 रकबा 9 बिस्वा, 71 रकबा 10 बिस्वा, 72 रकबा 12 बिस्वा, 73 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 75 रकबा 15 बिस्वा, 76 रकबा 12 बिस्वा, 77 रकबा 3 बिस्वा, 78 रकबा 7 बिस्वा, 79 रकबा 15 बिस्वा, 80 रकबा 1 बीघा 81 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 144 रकबा 3 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 17 विस्वा का 1/7 भाग दर 1 बैल कुल 8 बैल अर्थात 1/56 भाग व गत ख0न0 67 रकबा 6 बिस्वा, 68 रकबा 6 विस्वा, 69 रकबा 7 बिस्वा 74 रकबा 8 बिस्वा किता 4 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का 1/7 भाग दर 1 बैल कुल 8 बैल अर्थात 1/56 भाग श्रीराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी श्योपुर से मिन वादी व तर॰प्रतिवादी के पिता प्रभूदयाल ने 1/2 भाग 1/2 भाग जरियें रजिस्टेड वैयनामा दिनांक 17/8/94 को बएवज प्रतिफल खरीद किया है, लेकिन वक्त खरीद विक्रेता द्वारा मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के पिता प्रभूदयाल को आराजी ख0न0 162 रकबा 12 बिस्वा के रकबा 2 बिस्वा पर व ख0 न0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (सैरथल-तिजारा)

164 रकबा 13 बिस्वा पर कब्जा किया गया था तथा मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के पिता प्रभूदयाल के नाम राजस्व रिर्कोड में बैयनामा के आधार इन्तकाल जमाबन्दी सम्वत 2054–2057 में दर्ज व मंजूर हो गया है, लेकिन मिन वादी व तर० प्रतिवादी का पिता प्रभूदयाल मौके पर कब्जा किये गये ख0 न० 162 के रकबा 2 बिस्वा व ख०न० 164 के रकबा 13 बिस्वा पर काबिज होकर काश्त करते रहे है।

4. यह है कि मिन वादी व तर० प्रतिवादी का पिता प्रभूदयाल फौत हो गया तथा तर० प्रतिवादी के पिता के फौत होने पर आराजी तर० प्रतिवादी को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है तथा मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण का पिता आराजी ख०न० 162 रकबा 12 बिस्वा में से रकबा 2 बिस्वा पर व ख0न0 164 रकबा 13 विस्वा पर वक्त खरीद से ही काबिज है तथा काश्त कर रहे है, लेकिन मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता के नाम का अंकन दावा के जिम्मन न0 3 में अंकित सालिम आराजी में दर्ज हो रहा है, तथा वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0 न0 164 के रकबा 2 बिस्वा का हाल ख0न0 640/174 रकबा 0.03 है0, व गत ख०न० 162 रकबा 13 बिस्वा से हाल ख0 न0 176 रकबा 0.15 है0, पैमूद किया गया है। जिस पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।

5. यह है कि मिन वादी विवादित ख0 न0 176 रकबा 0.17 हैक्0, 640/174 रकबा 0.03 है0 पर आराजी पर वक्त खरीद यानि करीब 29 साल से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा दिगर आराजी पर अन्य सहखातेदारान काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा मिन वादीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य आराजी बाबत कोई विवाद नहीं है। इसलिए सहखातेदारान को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गय है।

6. यह है कि मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण का पिता वक्त खरीद से ही कब्जाशुद्वा ख0 न0 176 रकबा 0.17 है0, 640/174 रकबा 0.03 है0 पर आराजी पर काबिज काश्त रहे है तथा मिन वादी व तर0 प्रतिवादी द्वारा अन्य खरीदशुद्वा आराजी पर कभी काबिज काश्त नही रहे है तथा अन्य आराजी पर सहखातेदार काबिज काश्त है तथा सहखातेदारान का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है तथा मिन वादी विवादित आराजी ख0 न0 176 रकबा 0.17 है0, 640/174 रकबा 0.03 है0 पर अर्सा दराज करीब 29 साल से काबिज काश्त है। इसलिए मिन वादी को 1/2 भाग भाग व तर0 प्रतिवादीगण को 1/2 भाग का बैयनामा के अनुसार खरीदशुद्वा आराजी का कब्जेकाश्त एवं खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे, इसी प्रकार से गिन वादीगण के नाम का अंकन दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड में दर्ज अन्य सहखातेदार का नाम हजफ फरमाया जावे व मिन वादीगण का नाम जिम्मन न0 3 में वर्णीत आराजी में से उक्त विवादित आराजी को छोडकर शेष आराजी में हजफ कर दिया जावे।

7. यह है कि वादीगण व अन्य सहखातेदारान आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा इसी प्रकार शिवचरण पुत्र बोदन अहीर निवासी श्योपूर ने भी भी उपरोक्त आराजी में खरीद किया था परन्तु शिवचरण द्वारा ख0 न0 639/174 रकबा 0.13 है0, व ख0 न0 168 रकबा 0.11 है0, पर अपने नाम का अंकन दर्ज करा लिया है।

उपखण्ड अधिकारी
कुण्डमर (खैरथल-तिजारा)

8. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादी वक्त खरीद से काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी पर अन्य सहखातेदार काबिज नही है तथा मिन वादीगण द्वारा कब्जा के आधार पर उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु प्रतिवादी से सम्पर्क किया तथा रिकॉड में मिन वादी व तर० प्रतिवादी के नाम का अंकन दर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने दिनांक 15/7/2023 को मना कर दिया। बस यही बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा होकर यह दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।
9. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व विनायमुखारमत दिनांक 15/7/2023 को पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
10. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती का पेश किया जा रहा है, इसलिए दावा में राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, जो आवश्यक पक्षकार है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा0 दी0 दिया जाना आवश्यक होता है तथा दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है, इसलिए दावा बिना नोटिस दिये पेश करने की अनुमति हेतु अलग से दावा के साथ धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाह गया है कि :–

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जावे कि आराजी आराजी 176 रकबा 0.17 हैक0, 640/174 रकबा 0.03 है0, वाके ग्राम श्योपुर तह० मुण्डावर का मिन वादी को 1/2 भाग व तर० प्रतिवादीगण को 1/2 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार से मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉड में दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉड में दर्ज अन्य खातेदार का नाम हजफ किया जावे व दावा के जिम्मन न0 3 में वर्णीत अन्य आराजीयत में उक्त विवादित आराजी को छोडकर बाकी आराजी में हम वादी व तर0 प्रतिवादी का नाम हजफ कर दिया जावे तथा उक्त आराजीयत में हम वादी व तर0 प्रतिवादी का हिस्सा विवादित आराजी ख0न0 176 व ख0न0 640/174 में जोड दिया जावे व मिन वादी व तर० प्रतिवादी को रकबा 0.20 है0, का खातेदार घोषित किया जाये।

(स) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद जबाव प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण जबाव बन्द किया जाता है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन पीडब्लू–1 बलरामसिंह पुत्र जाल्माराम, पीडब्लू–2 भूपसिंह पुत्र साधूराम, पीडब्लू–3 हनुमान पुत्र देवकरण के शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 किता 39, प्रदर्श–2 बैयनामा, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2057, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2053,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2053–56, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2053, किता –2, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2057 किता –2, प्रदर्श–8 जमाबन्दी खाता संख्या 104 किता –2, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2073, प्रदर्श–10 मिलान क्षेत्रफल किता–3, प्रदर्श–11 आर्डर शीट दावा शिवचरण बनाम छीतर, प्रदर्श–12 फाईनल पर्चा डिकी, प्रदर्श–13 असल दावा नकल, प्रदर्श–14 प्रा0 पत्र आर्डर शीट, प्रदर्श–15 प्रार्थना पत्र, प्रदर्श–16 जमाबन्दी सम्वत 2070 किता –4, प्रदर्श–17 इन्तकाल की नकल किता –5 अंकित कराये गये।

प्रार्थी वादी की ओर से निवेदन है कि वादित आराजी खसरा नं. 176 रकबा 0. 17 हैक्टेयर एवं 640/174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ग्राम श्योपूर तहसील मुण्डावर की भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा उनके पिता स्व. प्रभूदयाल के माध्यम से विधिवत पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.08.1994 के आधार पर क्रय की गई थी। क्रय के समय से ही उक्त भूमि पर कब्जा व काश्तकारी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के पास रही तथा बाद में विरासत के आधार पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार बने हुए हैं।

यह तथ्य अभिलेखीय साक्ष्य जैसे जमाबन्दियां (सम्वत 2053 से 2074 तक), इन्तकाल, बैयनामा एवं मिलान क्षेत्रफल रिपोर्ट (प्रदर्श–1 से 17) से पूर्णतः सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–3 के शपथ–पत्रों द्वारा भी वादी का कब्जा एवं काश्तकारी प्रमाणित है। वादित भूमि पर वादी का निरंतर, शांतिपूर्ण एवं निर्विवाद कब्जा लगभग 29 वर्षों से चला आ रहा है।

राजस्व अभिलेखों में वर्तमान प्रविष्टियां वास्तविक स्थिति के विपरीत हैं, जो केवल सैटलमेंट के दौरान त्रुटिवश दर्ज हो गई हैं। अन्य सहखातेदारों का वादित भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा वे अपने–अपने हिस्से की अन्य भूमि पर काबिज हैं। अतः अभिलेखों में सुधार (दुरुस्ती) आवश्यक है।

प्रतिवादीगण को विधिवत तामील के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वादी के कथन अप्रतिवादित एवं स्वीकार्य माने जाने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती पारित कर वादित भूमि पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सानुसार 1/2–1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर अन्य सहखातेदारों के नाम विलोपित किए जावें। अन्य उचित राहत भी न्यायालय की कृपा से प्रदान की जावे।

संक्षिप्त विवेचन

प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादी ने विवादित आराजी खसरा नं. 176 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 640/174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ग्राम श्योपूर, तहसील मुण्डावर के संबंध में अपना कब्जा एवं खातेदारी अधिकार स्थापित करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

वाद के समर्थन में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, विशेषतः पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.08.1994, जमाबन्दियां (सम्वत 2053 से 2074 तक), इन्तकाल

अधिकारी

प्रतिलिपियां एवं अन्य अभिलेख (प्रदर्श–1 से 17) से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता स्व. प्रभूदयाल द्वारा उक्त भूमि विधिवत क्रय की गई थी तथा क्रय के समय से ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा रहा है। तत्पश्चात् विरासत के आधार पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार बने हुए हैं।

वादी के साक्षी पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–3 के शपथ–पत्रों द्वारा भी वादी का निरंतर, शांतिपूर्ण एवं निर्विवाद कब्जा सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण को विधिवत तामील होने के बावजूद उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वादी के कथनों का खण्डन नहीं हुआ एवं वादी का साक्ष्य अप्रतिवादित रह गया।

अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान राजस्व प्रविष्टियां वास्तविक स्थिति के विपरीत हैं तथा सैटलमेंट के दौरान त्रुटिवश दर्ज हो गई हैं। वादित भूमि पर अन्य सहखातेदारों का वास्तविक कब्जा नहीं है, अपितु वे अन्य भूमि पर काबिज हैं।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण वादित भूमि पर अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज काश्तकार हैं तथा उन्हें खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप, वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि वादित आराजी खसरा नं. 176 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 640/174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ग्राम श्योपूर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सानुसार 1/2–1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किए जाकर अन्य असंगत प्रविष्टियां विलोपित की जावें। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
165 / 2023	28.07.2023	27.04.2026

बउनवान

1. बलराम सिंह पुत्र जाल्माराम जाति अहीर निवासी श्योपूर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

2. महेन्द्र सिंह
3. अशोक कुमार पुत्रान प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी श्योपूर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अरूण पण्डित एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 27.04.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिकी जारी की जाती है :—

वादित आराजी खसरा नं. 176 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं 640 / 174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, ग्राम श्योपूर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सानुसार 1 / 2–1 / 2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किए जाकर अन्य असंगत प्रविष्टियां विलोपित की जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)